

## उत्तराखण्ड शासन

## वित्त अनुभाग-8

संख्या-150546/2023/45(100)/XXVII(8)/2005

देहरादून: दिनांक 30 अगस्त, 2023

## विज्ञप्ति / तैनाती / स्थानान्तरण

शासन के पदोन्नति आदेश सं0-138301/2023, दिनांक 14.07.2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत 03 संयुक्त आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में अपर आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '13क' वेतनमान रू0 131100-216600 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

02- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तैनाती स्थल/कार्यालय में तैनात/स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1	श्री राकेश वर्मा, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, कुमाऊं जोन, रुद्रपुर।
2	श्री धीरेन्द्र सिंह नबियाल, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, (ऑडिट) राज्य कर, मुख्यालय।
3	श्री पान सिंह डुंगरियाल, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, गढवाल जोन, हरिद्वार।
4	श्री बी0एस0 नगन्याल, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय।

03- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करते हुए योगदान आख्या शासन को तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 30-08-2023 10:29:46

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या-150546 (1)/2020/45(100)/xxvii(8)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. - महालेखाकार (लेखा परीक्षण) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, डी-1/105, इंदिरा नगर, देहरादून।
3. - निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. - आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. - वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंह नगर/हरिद्वार।
6. - उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को गजट के प्रकाशनार्थ।
7. - सम्बन्धित अधिकारी।
8. - गार्ड फाईल।

Signed by Vikram Singh

Rana

Date: 30-08-2023 11:17:49

(विक्रम सिंह राणा)

संयुक्त सचिव।

5425  
01/09/23

..... अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें।  
.....  
आयुक्त राज्य कर  
उत्तराखण्ड।